फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ़ जिला अलवर

अशोक कुमार बनाम कंचन

प्रकरण सं. 3/24/2025 तारीख रजू 12.5.25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
12.5.25	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 LR Act 1956 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु जर्ये रजि० डाक से नोटिस तलब हो। पत्रावली वास्ते तलबी आइन्दा दिनांक 20.5.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	
20.5.25	वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते रजिस्टर्ड तामिल रिपोर्ट आइन्दा दिनांक 10.6.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	
10.6.25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रतिवादी सं.1 की ओर से वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते जवाब प्रतिवादी 1 व शेष की तलबी दिनांक 27.06.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	
27.06.2025	पत्रावली पेश हुई उभय पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब/बहस दिनांक 02/07/25 को पेश होवे। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
02.7.25	पत्रावली पेश हुई। P.O साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली दिनांक 11.7.25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०
11-7-25	पत्रावली पेश। P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 14-07-25 को पेश हो। [signature] रीडर
14.7.25	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 06.8.25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०
06.8.25	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 13.8.25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०
13.8.25	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। निर्णय नहीं हो सका। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 19.8.25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०
19.8.25	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकार उपस्थित। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 111,128 LR Act स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर अमलदरामद से फारिग हो। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी निहारिका शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 3/24/2025

वउनवान

1. अशोक कुमार जाटव पुत्र मंगलराम जाटव जाति जाटव निवासी रामबास तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

—प्रार्थी

बनाम

1. कंचन पुत्र दुर्गा जाति माली निवासी गोविन्दगढ़
2. कुन्दन पुत्र प्यारेलाल जाति मीना निवासी गोविन्दगढ़
3. रामू पुत्र प्यारेलाल जाति मीना निवासी गोविन्दगढ
4. अंगूरी पुत्री प्यारेलाल जाति मीना निवासी गोविन्दगढ
5. छगनी पुत्री प्यारेलाल जाति मीना निवासी गोविन्दगढ
6. मगनी पुत्री प्यारेलाल जाति मीना निवासी गोविन्दगढ
7. सुगना पुत्री प्यारेलाल जाति मीना निवासी गोविन्दगढ
8. मुक्ति पुत्री प्यारेलाल जाति मीना निवासी गोविन्दगढ तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर।
9. तहसीलदार साहब, गोविन्दगढ़ जिला अलवर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128
राज0 भू.राजस्व अधि0 1956

उपस्थितः—
श्री अरूण कुमार शर्मा — अधिवक्ता प्रार्थी
श्री सोहनपाल सैनी — अधिवक्ता अप्रार्थीगण

आदेश **दिनांक 19.08.2025**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 1878/981 रकबा 0.6196 है0 वाके ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर स्थित हैं जो आराजी प्रार्थी की तन्हा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिसके लगती हुई ही अप्रार्थी संख्या 1 कंचन की खातेदारी की आराजी खसरा नं. 983 रकबा 0.4299 है तथा एक तर्फ अप्रार्थीगण की खातेदारी का खेत खसरा नं. 1032 रकबा 0.1517 है0 वाके ग्राम रामबास तह0 गोविन्दगढ़ जिला अलवर में स्थित है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के खेत की

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज0

डोल तोड़कर कुछ रकबे को अपने उक्त दोनों खेतों में नाजायज रूप से दबा कर अप्रार्थीगण बिना पैमाईश व पत्थरगढ़ी करवाये गैर कानूनी रूप से कृषि भूमि में प्लाट काटने, आवासीय मकान निर्माण करने आदि पर उतारू है जिससे उक्त आराजीयात विवादित है। जिसे आगे चलकर प्रार्थना पत्र में उक्त तीनों नम्बरों को विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया जा रहा है।

यह है कि आराजी खसरा नं. 1878/981 रकबा 0.6196 है0 वाके ग्राम रामबास के लगती हुई आराजी अप्रार्थी संख्या 1 कंचन की खातेदारी की आराजी खसरा नं. 983 रकबा 0.4299 है0 तथा एक तर्फ अप्रार्थीगण 1 लगायत 8 की खातेदारी की आराजी खसरा नं. 1032 रकबा 0.1517 है0 वाके ग्राम रामबास में स्थित है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के खेत की डोल को तोड कर व कुछ रकबे को अपनी जमीन में मिला लिया व डोल को हटा दिया गया है। और अब अप्रार्थीगण पूर्व स्थान पर डोल को कायम करवाकर पत्थरगढी नही करवा रहे है। बल्कि गैर कानूनी रूप से बिना भूमि रूपान्तरित करवाये उक्त आराजीयात में प्लाट काटने व मकान निर्माण स्वंय व दीगर को करवाने की जुस्तजू में है। जिन की आड़ में प्रार्थी की आराजी में भी घूस रहे है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नं. 1878/981 रकबा 0.6196 है0 वाके ग्राम रामबास तथा अप्रार्थी संख्या 1 कंचन की खातेदारी की आराजी खसरा नं. 983 रकबा 0.4299 है0 व अप्रार्थीगण 1 लगायत 8 की खातेदारी की आराजी खसरा नं. 1032 रकबा 0.1517 है0, खसरा नं. 2086/979 रकबा 0.4425 वाके ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर की पैमाईश करवाकर प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढ़ी करवायी जावे तथा स्थाई निशेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि जब तक आराजी की पैमाईश होकर पत्थरगढ़ी नही हो जावे, तब तक अप्रार्थीगण उक्त आराजीयात में से जबरन प्लाट नही काटे ना निर्माण करने ना ही रहन बय, मौके व रिकॉर्ड की स्थिति को परिवर्तन करने के आदेश फरमाये जाने की

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

कृपा करे। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी संवत 2072 से 2075 खाता संख्या 735, 65, 67 व खसरा नक्शा पेश किया है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थीगण उपस्थित।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि आराजी खसरा नं. 983 रकबा 0.4299 अप्रार्थी संख्या 1 कंचन का होना अंकित है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 कंचन कि आराजी खसरा नं. 2086/979 रकबा 0.4425 है व आराजी खसरा नं. 1032 रकबा 0.1517 अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की खातेदारी की आराजी हैं प्रार्थी द्वारा जिम्मन नं. 1 में सारे तथ्य गलत अंकित किये गये है। आराजी खसरा नं. 983 रकबा 0.4299 है0 अप्रार्थी संख्या 1 कंचन की आराजी नही है। अप्रार्थी संख्या 1 कंचन की आराजी खसरा नं. 2086/979 रकबा 0.4425 वाके ग्राम रामबास तन्हा कंचन की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। एवं खसरा नं. 1032 मुताबिक हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 की कब्जेकाश्त की आराजी रही है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 बुजुर्गो से करीब 100 वर्ष से काबिज है पुरानी मेंढ बनी हुई है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीयान के पडोस की आराजी खसरा नं. 1878/981 कुछ दिन पहले खरीद की है और खरीदने के बाद प्रार्थी द्वारा पैमाईश कराकर अपनी आराजी में मेंढबंदी कर पिलर खडे कर तारबंदी कर रखी है। प्रार्थी का यह कहना कि अप्रार्थीगण द्वारा डोल को हटा दिया गया है कतई गलत है। प्रार्थी द्वारा मौजुदा प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दोषपूर्ण अभिबचन दर्शाता है जो खारिज किये जाने योग्य है अप्रार्थीगण को आराजी बुजुर्गानी विरासत में प्राप्त हुई आराजी है। जिसका उपयोग व उपभोग, निर्माण करने व बेचान करने का कानूनी अधिकारी अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 को प्राप्त है। प्रार्थी को गलत तथ्यों व दोषपूर्ण पिलिडिंग के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थीगण द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

जवाब की ताहिद में प्रार्थी की आराजी में की हुई पिलर व तारबंदी के फोटोग्राफ भी पेश किये है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा आराजी खसरा नं. 1878/981 रकबा 0.6196 है0 वाके ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर की पैमाईश करवाकर प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढ़ी करवायी जावे तथा अप्रार्थीगण को स्थाई निशेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि जब तक आराजी की पैमाईश होकर पत्थरगढ़ी नही हो जावे, तब तक अप्रार्थीगण उक्त विवादित आराजीयात में से जबरन प्लाट नही काटे ना निर्माण करने ना ही रहन बय, ना ही मौके व रिकॉर्ड की स्थिति को परिवर्तन करने के आदेश बाबत निवेदन किया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस के दौरान अपने जवाब के तथ्यो को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस का मनन किया। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सवंत 2072–2075 ग्राम रामबास तह0 गोविन्दगढ़ अनुसार खसरा नं. 1878/981 रकबा 0.6196 है0 किस्म बारानी अलिफ अशोक कुमार जाटव पुत्र मंगलराम (प्रार्थी) खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी अपनी भूमी की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111, 128 अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम बाबत प्रार्थी की आराजी खसरा नं. 1878/981 रकबा 0.6196 है0 वाके ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार गोविन्दगढ़ जिला अलवर को आदेश दिये जाते है कि वह प्रार्थी की आराजी खसरा नं. 1878/981 रकबा 0.6196 है0 वाके ग्राम रामबास तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर से लगते हुए खातेदारों का सूचित करते हुए उभय पक्षकारान की उपस्थिति में पुनः विधि के अनुसार पैमाइश कराकर मुताबिक पैमाईश रिपोर्ट प्रार्थी के खर्चे पर पत्थरगढी

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

कराकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। आदेश की तहरीर तहसीलदार गोविन्दगढ़ को बास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(निहारिका शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०

अतः यह आदेश आज दिनांक 19.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०